

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-4/2021/जी-2-129/दस-2021-59/81
लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त 2021
विज्ञापित
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूय 1985 के नियम 11 (1), कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूय के नियम 11 (1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्शोरेन्स रूय, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्शोरेन्स फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जुलाई, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 01 जुलाई, 2021 से लागू होगी।

आज्ञा से,
एस राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2021/जी-129(1) /दस-2021-59/81 तदद्यदिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञापित को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-4/2021/जी-129(2) /दस-2021-59/81 तदद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 4- निदेशक वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र० 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।